न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/298

महमूद खॉ आत्मज रमजान खॉ जाति मुलसमान निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 01.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि वादी के कब्जे काश्त की ग्राम मोतीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में गत खसरा नम्बर 80/29 की 25 बीघा आराजी स्थित है । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 168 रकबा 2.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.32 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 171 रकबा 0.81 हैक्टर कुल 3.83 हैक्टर बनाये हैं । वादी के खाते में गत रकबे 25 बीघा के अनुसार वर्तमान में 4.00 हैक्टर रकवा दर्ज होना चाहिए था परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व स्वीकृति के उसके खाते में 4.00 हैक्टर के स्थान पर 3.83 हैक्टर रकबा ही दर्ज किया है । इस प्रकार रकबे के अनुसार 0.17 हैक्टर आराजी वादी के खाते में कम दर्ज की है जिसका कि भू–प्रबन्ध विभाग को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की सहायता से राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवा कर अपने खाते में गत रकबा 25 बीघा के बराबर 3.83

हैक्टर के स्थान पर 4.00 हैक्टर रकबे का इन्द्राज करवा सके तथा तद्नुसार उसका अपने आपको खातेदार कृषक घोषित करवा सके ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी की गत खसरा नम्बर 80/29 की 25 बीघा के अनुसार 4.00 हैक्टर भूमि होती है । वादी के वर्तमान खाते में दर्ज भूमि 3.83 हैक्टर के स्थान पर 4.00 हैक्टर भूमि का रकबा खाते में दर्ज किया जावे तथा उक्त भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे । प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी को उसकी भूमि से बेदखल नहीं करे तथा वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी अपीलान्ट के खाते में साबिक खसरा नम्बर 80/29 की 25 बीघा भूमि स्थित थी जो 4.00 हैक्टर के बराबर होती है । वर्तमान सेटलमेंट ने उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर कायम कर उक्त भूमि का रकबा 3.83 हैक्टर कायम कर अपीलान्ट के खाते में दर्ज कर दिया जबकि मौके पर अपीलान्ट अपने पूर्व रकबे अर्थात् 4.00 हैक्टर पर काबिज है । भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों को वादी अपीलान्ट के खाते की भूमि रेस्पोडेन्ट अथवा किसी अन्य व्यक्ति के खाते में दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है । इस तथ्य को वादी अपीलान्ट ने अपने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित कर दिया था । अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट के खाते में गलत रूप से कम दर्ज हुई भूमि के रकबा दुरूस्ती एवं रकबा पूर्ति हेतु तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर मुताबिक रिपोर्ट निर्णय पारित करना चाहिए था । अपीलान्ट की भूमि का रकबा सेटलमेंट विभाग द्वारा कम दर्ज किया गया है । जिला कलक्टर कोटा द्वारा रास्ता सम्बन्धी आदेश बाद में पारित किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश किया था । अपीलान्ट के खाते में साबिक खसरा नम्बर 80/29 रकबा 25 बीघा भूमि दर्ज थी जो 4.00 हैक्टर के बराबर होती है । परन्तु सेटलमेंट विभाग ने उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 168 रकबा 2.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 169 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 170 रकबा 0.32 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 171 रकबा 0.81 हैक्टर कुल 04 किता की 3.83 हैक्टर कायम कर आराजी वादी के खाते में दर्ज करने में त्रुटि की है जबकि 4.00 हैक्टर आराजी वादी के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी । वादी के खाते की आराजी को कम करके भू–प्रबन्ध विभाग

को अन्य किसी के खाते में डालने का कोई अधिकार नही है । जिला कलक्टर, कोटा के द्वारा रास्ते के बाबत् आदेश बाद में किया गया है । भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से अपीलान्ट के खाते की भूमि कम की गई है । अपीलान्ट ने दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है फिर भी दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 44 उद्धरत की ।

8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सेटलमेंट विभाग ने उनके खाते की भूमि कम करके किसके खाते में दर्ज की है । वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2050–2053 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 04 किता की 3.83 हैक्टर भूमि महमूद खॉ वल्द रमजान खॉ जाति मुसलमान के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 80/29 रकबा 25 बीघा भूमि महमूद खॉ पुत्र रमजान खॉ के गैर खातेदारी में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 3 पेश किया है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 80/29 के नये खसरा नम्बर 168, 169, 170 एवं 171 कायम किये गये हैं । प्रदर्श– 4 नोटिस की प्रति है, प्रदर्श– 5, 6, 7 और 8 रसीदों की प्रतियॉ हैं ।

10. पत्रावली पर बयान वादी महमूद खॉ कराये गये हैं । शपथ पत्र गुलाब पीडब्ल्यू–2 के रूप में शामिल पत्रावली हैं । परन्तु उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथ पत्र की ताईद नहीं की है ।

11. वादी अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह कथन करते हुए इन्द्राज दुरूस्ती का दावा पेश किया है कि वादी की साबित खसरा नम्बर 80/29 रकबा 25 बीघा भूमि खाते में दर्ज थी जो 4.00 हैक्टर के बराबर होती है, जिसे सेटलमेंट विभाग ने नये खसरा नम्बर कायम कर 3.83 हैक्टर कर उक्त भूमि अपीलान्ट के खाते में दर्ज कर दी जबकि अपीलान्ट के खाते में 4.00 हैक्टर भूमि दर्ज होनी चाहिए थी । अतः वादी के खाते का रकबा पूर्ण करते हुए 4.00 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के खाते में दर्ज की जावे । परन्तु वादी ने अपने दावे में यह अवगत नहीं करवाया है कि उसके खाते का रकबा *कम करके किस के खाते में दर्ज किया गया है* । उनके द्वारा साबिक खसरा नम्बर और हाल खसरा नम्बर को दर्शाते हुए नजरी नक्शा भी पेश नहीं किया गया है । जब तक वादी यह सिद्ध नहीं कर देता है कि उनका रकबा किस खसरा नम्बर में दर्ज किया गया है तब तक उनके हक में घोषणा का दावा डिक्री नहीं किया जा सकता । वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है ।

12. इन तथ्यों के आधार पर वादी अपीलान्ट अपना दावा सिद्ध करने में असफल रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी विधि सम्मत रूप से खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 01.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 12/298

महमूद खॉ आत्मज रमजान खॉ जाति मुलसमान निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्या: 625/दावा/2009

महमूद खॉ आत्मज रमजान खॉ जाति मुलसमान निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 01.05.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि पर अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.09.2012 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 01.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

1/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा